



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273745
CG-DL-E-23062026-273745

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 401]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत गठित सांविधिक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2026

एफ.सं. सीए/498/2026/म.स.अ.ए(विनियम).— वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20 वां) की धारा 21 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (ई), (जी), (एच), और (जे) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से वास्तुकला परिषद् एतद् द्वारा वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 जो भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में दिनांक 11 अगस्त, 2020 को प्रकाशित हुए हैं में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का नाम वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2026 होगा।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 के विनियम 4 के उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा :-

- (2) अभ्यर्थी को वास्तुकला में अभिक्षमता परीक्षा जो कि या तो एनटीए द्वारा संचालित “जेईई” या वास्तुकला परिषद द्वारा संचालित “नाटा” को उत्तीर्ण करना आवश्यक है। लेकिन भारत सरकार की विदेशी छात्रों की प्रत्यक्ष प्रवेश (डासा) योजना के तहत सैट विषय परीक्षा को शैक्षणिक वर्ष 2020–2021 तक वास्तुकला स्नातक डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश तथा मान्यता प्राप्त अर्हता अर्जित करने के लिए वैध माना जाएगा।

पाद टिप्पणी: मूल विनियम दिनांक 11 अगस्त, 2020 को भारत के राजपत्र के भाग षष्ठ खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 23 मार्च 2021, 30 जून 2022, 19 जुलाई 2023, 8 जुलाई 2024 तथा 6 जून, 2025 को संशोधित हुए थे।

राज कुमार ओबराय, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/4/असा./170/2026-27]

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Statutory Authority Constituted Under The Architects Act, 1972)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2026

F. No. CA/498/2026/MSAE(Regulations).— In exercise of powers conferred by clauses (e), (g), (h) and (j) of sub-section (2) of Section 45 read with Section 21 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Council of Architecture, with the approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations 2020, the same having been published in the Gazette of India, Part-III-Section-4 dated the 11th August, 2020, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) (Amendment) Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2020, in Regulation 4 for sub-regulation (2), which was amended earlier vide notification dated 19.07.2023, the following sub-regulation shall be substituted namely :-
“(2) The candidate needs to qualify an aptitude test in architecture conducted either by NTA (i.e. JEE) or “NATA” by Council of Architecture. However, admission of candidates in Bachelor of Architecture Degree course under Direct Admission of Students Abroad (DASA) scheme of the Government of India upto the academic year 2020-2021 based on SAT Subject Test will be considered as valid admission for the purpose of acquiring recognized qualification.”

Footnote: The principal Regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, on 11th August, 2020 and amended on 23.03.2021, 30.06.2022, 19.07.2023, 08.07.2024 and 06.06.2025.

RAJ KUMAR OBEROI, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./170/2026-27]